



E-mail id : dm-saran.bih@nic.in, Phone (06152) 240001(Office) 06152- 240002 & 240005 (Residence)

पत्रांक-...~~20~~...

दिनांक-...~~6.1.0.21~~...2024

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
बिहार, पटना।

विषय :- दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के संविदा के आधार पर रिक्त पदों के नियोजन हेतु प्रेस विज्ञापित प्रकाशित करने के संबंध में।

प्रसंग :- महिला एवं बाल विकास निगम का पत्रांक- WCDC / 2092 / 23, दिनांक-27.09.2023।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन कार्यालय में विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जानी है।

अतः इच्छुक अभ्यर्थियों को उक्त पदों पर आवेदित करने हेतु इस विज्ञापित की दो प्रति (सीडी सहित) पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध पूर्वक कहना है कि इसे कम से कम दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित कराने की कृपा करेंगे।

अनु०:- यथोक्त


विश्वासभाजन


जिलाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक...~~20~~... / दिनांक...~~06.1.0.21~~...2024

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिले के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


जिलाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला हब फॉर एम्पावरमेन्ट ऑफ वीमेन के रिक्त पदों पर संविदा आधारित
नियोजन हेतु विज्ञापन

सारण समाहरणालय, छपरा

जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन (DHEW)

विज्ञापन संख्या-01/2024

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक-WCDC/2092/23, दिनांक-27.09.2023 के आलोक में जिला हब फॉर एम्पावरमेन्ट ऑफ वीमेन, सारण, छपरा के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्रम	पद का नाम	पद की संख्या तथा कोटि	आयु	योग्यता/अहर्ता	मूल मानदेय
01	जेंडर स्पेशलिस्ट	01 (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)		शैक्षणिक योग्यता :-सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक कार्य /विषयों सामाज शास्त्र ग्रामीण/ ग्रामीण विकास/ प्रबंधन महिला अध्ययन में/मनोविज्ञान/स्नातक अनुभव:- जेंडर केंद्रित विषयों में सरकारी-गैर/ वर्ष का 3 सरकारी संगठन के साथ काम से कम कार्य अनुभव	23,000.00 (तेइस हजार रूपया)
02	वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ	01 (अनारक्षित)	कोटिवार	शैक्षणिक योग्यता :- अर्थशास्त्र, वाणिज्य में स्नातकोत्तर अनुभव :- वित्तीय साक्षरता /वित्तीय समावेशन केंद्रित विषयों में सरकारी/गैर-सरकार संगठन के साथ कम से कम 03 वर्ष का अनुभव।	21,000.00 (ईक्कीस हजार)
03	लेखा सहायक	01 (अनारक्षित)	अनुमान्य आयु के अनुसार	शैक्षणिक योग्यता :- वाणिज्य में स्नातक-बी0 कॉम अनुभव :- संबंधित क्षेत्र में सरकारी/गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 03 वर्ष का कार्य अनुभव।	16,000.00 (सोलह हजार)
04	डेटा इन्ट्री ऑपरेटर (DEO)	01 (अनारक्षित)		शैक्षणिक योग्यता :- कम्प्युटर/आई0टी0 में स्नातक अनुभव :- डेटा प्रबंधन, प्रक्रिया दस्तावेजीकरण और वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप आदि में सरकारी/गैर-सरकारी / आई0टी0 आधारित संगठनों के साथ 03 वर्ष का अनुभव।	13,500.00 (तेरह हजार पांच सौ)
05	एम0टी0एस0	01 (अनारक्षित)		शैक्षणिक योग्यता :- किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं उत्तीर्ण	12,000.00 (बारह हजार)

01. अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे।
02. नियोजन में सरकार के द्वारा (सामान्य प्रशासन विभाग) लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।
03. आरक्षण का लाभ केवल उन्ही आवेदकों को मिलेगा जिसके पास बिहार का अधिवास है।
04. उम्र सीमा : संविदा पर नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को निम्नवत् होगी :-

अनारक्षित वर्ग (पुरुष)	- 37 वर्ष
अनारक्षित वर्ग (महिला)	- 40 वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)	- 40 वर्ष
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (पुरुष एवं महिला)	- 42 वर्ष
05. अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रायोजन के लिए संदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी।
06. कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त, ई0पी0एफ0 तथा ई0एस0आई0सी0 देय होगी।
07. संविदा के आधार पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजन व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे न सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन जिला हब फॉर एम्पावरमेन्ट ऑफ वीमेन के अधीन होगा।
08. विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता/कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी।
09. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्य मानी जाएगी।
10. मेधा अंक समान होने पर जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया जायेगा। सामान्य मेधा अंक एवं सामान्य जन्म तिथि एक समान होने की स्थिति में लॉटरी व्यवस्था से निर्णय लिया जायेगा।
11. सभी रिक्त पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु कुल-100 अंक होंगे। जिसमें प्रसांगिक शैक्षणिक योग्यता में अधिकतम-60 अंक, कार्य अनुभव के लिए अधिकतम-15 अंक एवं साक्षात्कार के लिए अधिकतम-25 अंक देय होगा।
12. प्रशासनिक पद हेतु यदि अभ्यर्थी कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान रखते हैं तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।
13. कार्य अनुभव में सरकारी विभाग/संस्था/कार्यालय में कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
14. सरकारी/अर्धसरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग/संस्थान/कार्यालय में कार्य अनुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
15. चयन प्रक्रिया-निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों में मेधा सूची के अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थियों के उनके आवेदन में उल्लेखित ई-मेल आई0डी0 एवं जिला के वेबसाइट-saran.nic.in के माध्यम

- से दी जायेगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
16. विज्ञापन एवं सेवा शर्तों से संबंधित सभी अधिकार जिला पदाधिकारी, सारण के अधीन हैं। जिला पदाधिकारी, सारण विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते हैं।
 17. इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक ~~22/02/2024~~ समय-05 बजे अपराह्न तक अपना ऑनलाईन आवेदन <https://online.bih.nic.in/WCDCREC/Default.aspx> इस लिंक पर करेंगे। जिसमें सभी प्रमाण पत्र संलग्न रहना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जायेगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
 18. आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से ही स्वीकार होगा।
 19. आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन करते हुए आरक्षण कोटि के अनुरूप समक्ष प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
 20. सभी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि या उसके पूर्व का होना अनिवार्य होगा।
 21. एक से अधिक पदों लिए अलग-अलग आवेदन मान्य होंगे।
 22. भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
 23. अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाओं हेतु जिला हब फॉर एम्पावरमेंट, सारण समाहरणालय, छपरा, कार्यालय या saran.nic.in वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे।

LR 6/44
जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।